वित्तीय स्वीकृति (आयोजनागत)

संख्या-91/2015/726/एक-5-2015-68/2014

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊः: दिनांक 08 जून, 2015**

विषयः-प्रदेश की नवसृजित तहसीलों के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 के पत्र संख्या-141/12(भवन)-25/2015, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-1225/ एक-5-2014-68/2014, दिनांक 19 सितम्बर, 2014 के द्वारा जनपद औरैया की तहसील अजीतमल तथा जनपद सीतापुर की तहसील महोली के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रति तहसील मानकीकृत लागत 340.26 लाख के सापेक्ष प्रति तहसील प्रथम किश्त के रूप में रू0 135.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-425/एक-5-2015/68/2014, दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा उक्त 02 तहसीलों हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में प्रति तहसील रू0 205.26 लाख अर्थात कुल रू0 410.52 लाख (रूपये चार करोड़ दस लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार मानकीकृत लागत 340.26 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-425/एक-5-2015/68/2014, दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा उक्त 02 तहसीलों हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी प्रति तहसील रू0 205.26 लाख अर्थात कुल रू0 410.52 लाख (रूपये चार करोड़ दस लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि कोषागार से आहरित न हो सकी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-425/एक-5-2015/68/2014, दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा उक्त 02 तहसीलों हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी प्रति तहसील रू0 205.26 लाख अर्थात कुल रू0 410.52 लाख की धनराशि कोषागार से आहरित न हो पाने के दृष्टिगत प्रतिपूर्ति हेतु **पुनःउक्त 02 तहसीलों अजीतमल (औरैया), महोली (सीतापुर) के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में प्रति तहसील रू0 205.26 लाख अर्थात कुल रू0 410.52 लाख (रूपये चार करोड़ दस लाख बावन हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर उक्त प्रयोजन हेतु व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार आहरण किया जायेगा तथा उक्त धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये गये कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण भी किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) राजस्व परिषद द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-425/एक-5-2015/68/2014, दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा उक्त 02 तहसीलों हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में प्रति तहसील रू0 205.26 लाख अर्थात कुल रू0 410.52 लाख की धनराशि कोषागार से आहरित न हुई हो।

(4) स्वीकृति धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश में दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-21-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

संख्या-91/2015/726(1)/एक-5-2015-68/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- जिलाधिकारी, औरैया/सीतापुर।
6- प्रबंध निदेशक, पैकफेड/संबंधित परियोजना प्रबंधक।
7- राजस्व अनुभाग-6
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।